

पत्रांक- स0वा0क0अधि0पुरानी पेंशन/274 /2024

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार

एच0जे0एस0

न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण,  
गोरखपुर पीठ गोरखपुर।

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष,

वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

गोरखपुर::दिनांक:: जुलाई 29, 2024

महोदय,

ससम्मान निवेदन करना है कि जी0ओ0 संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11.07.2024 के अनुसार दिनांक 28.03.2005 के पूर्व विज्ञापन के आधार पर नियुक्त सरकारी सेवक के पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में विकल्प की व्यवस्था की गयी है।


उ0प्र0 शासन के वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 द्वारा निर्गत शासनादेश सं0 20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांकित:-11.07.2024 के अनुपालन में निर्धारित प्रारूप पर इस पत्र के साथ संलग्न मेरे विकल्प-पत्र को आदरणीय महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अतः माननीय महोदय से विनम्र अनुरोध है कि प्रार्थी द्वारा प्रेषित विकल्प पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए संस्तुति के साथ आदरणीय महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को समावेदित करने की कृपा प्रदान करें।

सादर।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

  
29/07/2024  
(वीरेन्द्र कुमार)

एच0जे0एस0

न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण,  
गोरखपुर पीठ-गोरखपुर।

पेशक,

बीरेन्द्र कुमार,  
न्यायिक सदस्य, व्यापार कर अधिकरण,  
गोरखपुर।

प्रेषिती,

आदरणीय महानिबन्धक,  
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।  
द्वारा- माननीय अध्यक्ष, व्यापार कर अधिकरण,  
लखनऊ।

विषय:-नवपरिभाषित अंशदायी पेंशन (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना(OLD PENSION SCHEME) का विकल्प अनुमोदित कर अपेक्षित आदेश निर्गत किए जाने के संबंध में।

आदरणीय महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में माननीय न्यायालय को सादर अवगत कराना है कि मैंने उ०प्र० प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद की विज्ञप्ति सं० ए-2/ई-1/2003 दिनांकित-15.11.2003 के तहत उ०प्र० राज्य न्यायिक सेवा परीक्षा, 2003 के आधार पर उ०प्र० शासन, नियुक्ति अनुभाग-4 के शासनादेश सं०-2430/दो-4-06-32(1)/2001टी.सी.-1 दिनांकित: 26.05.2006 के माध्यम से निर्गत नियुक्ति-पत्र के अनुसार व्यवहार न्यायाधीश (अवर वर्ग) के पद पर नियुक्त होकर माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की अधिसूचना सं० 1242/डी०आर०(एस)/2006 दिनांकित: 13.06.2006 के अनुपालन में जनपद न्यायालय-गाजीपुर में दिनांक: 16.06.2006 को अपर व्यवहार न्यायाधीश (अवर वर्ग), गाजीपुर के पद पर पदभार ग्रहण किया था। वर्तमान समय में मैं न्यायिक सदस्य, व्यापार कर अधिकरण, गोरखपुर के पद पर कार्यरत हूँ तथा नवपरिभाषित अंशदायी पेंशन (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) से आच्छादित हूँ।

महोदय, मैं उत्तर प्रदेश शासन के वित्त(सामान्य) अनुभाग-3 द्वारा निर्गत शासनादेश सं०14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांकित 28 जून, 2024 तथा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत पत्र सं० 9691/IV-F 82(Pension)/Admin.(A) Dated; 16 July, 2024 के अनुक्रम में वर्तमान नवपरिभाषित अंशदायी पेंशन (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (OLD PENSION SCHEME) का विकल्प चयनित करता हूँ। मेरे द्वारा पुरानी पेंशन योजना (O.P.S.) का चयनित यह विकल्प अन्तिम विकल्प समझा जाए।

अतः आदरणीय महोदय से विनम्र अनुरोध है कि उ०प्र० शासन के वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 द्वारा निर्गत शासनादेश सं० 20/2024/सा-3-275/दस-2024/301(1)/2024 दिनांकित:-11.07.2024 के अनुपालन में निर्धारित प्रारूप पर इस पत्र के साथ संलग्न गेरे विकल्प-पत्र को माननीय न्यायालय के समक्ष अनुमोदन हेतु व अनुमोदन के पश्चात् अपेक्षित आदेश निर्गत किये जाने हेतु समावेदित करने की कृपा करे।


सम्मान् सहीत।

दिनांक: 29.07.2024

संलग्नक:-

1. विकल्प-पत्र यथोपरि।

भवदीय,

  
29/07/2024

(बीरेन्द्र कुमार)

(ID No. UP6463)

न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण  
गोरखपुर पीठ-गोरखपुर।

कार्यालय, व्यापार कर अधिकरण, लखनऊ

पत्रांक:-

/दिनांक: जुलाई, 2024

अग्रसारित

अध्यक्ष,


व्यापार कर अधिकरण, लखनऊ।

विकल्प पत्र

1. नाम:- बीरेन्द्र कुमार
2. वर्तमान पदनाम:- न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, गोरखपुर।
3. वेतनमान - J-5: 144840 -194660
4. वर्तमान विभाग का नाम:- न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन (माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद)
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम:- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद
6. विज्ञप्ति की तिथि:-15 नवम्बर 2003 (विज्ञप्ति सं0 ए-2/ई-1/2003 दिनांकित:-15.11.2003)
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि:- 26 मई 2006  
(उ0प्र0 शासन, नियुक्ति अनुभाग-4, शासनादेश सं0-2430/दो-4-06-32(1)/2001टी.सी.-1)
8. योगदान की तिथि:- 16.06.2006
9. जन्मतिथि:- 03.07.1973 (तीन जुलाई सन् उन्नीस सौ तिहत्तर)
10. सेवानिवृत्ति की तिथि:- 31.07.2033 (इकत्तीस जुलाई सन् दो हजार तैतीस)

मैं बीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री भोला नाथ राम शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

हस्ताक्षर:

 29/07/2024


नाम: बीरेन्द्र कुमार

पदनाम: न्यायिक सदस्य, व्यापार कर  
अधिकरण, गोरखपुर।

घोषणा पत्र

मैं बीरेन्द्र कुमार पदनाम:-न्यायिक सदस्य, व्यापार कर अधिकरण, गोरखपुर यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर:

 29/07/2024

नाम: बीरेन्द्र कुमार

पदनाम: न्यायिक सदस्य, व्यापार कर  
अधिकरण, गोरखपुर।

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री बीरेन्द्र कुमार पदनाम:- सदस्य, व्यापार कर अधिकरण, गोरखपुर को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष की संस्तुति